



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/129/6/2023
Ref No: IRDAI/INT/CIR/MISC/129/6/2023

दिनांक: 14 जून, 2023
Date: 14th June, 2023

प्रति/To
सभी बीमा मध्यवर्ती एवं बीमाकर्ता,
All Insurance Intermediaries and Insurers,

विषय: अतिरिक्त परिपत्रों/दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों आदि का निरसन।

Re: Repealing of redundant Circulars/Guidelines/Clarifications etc.

1. विनियामक ढाँचे को युक्तियुक्त बनाने, सरल और कारगर करने, अनुपालन की अपेक्षाओं में स्पष्टता बढ़ाने और जटिलता कम करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विभिन्न अतिरिक्त (रिडण्डेण्ट) परिपत्र/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण निरस्त किये जाते हैं। यह कार्रवाई परवर्ती विनियमों, दिशानिर्देशों, अद्यतन जानकारी के निर्गम तथा समय-विशिष्ट अनुदेशों के व्यपगत होने की अनुक्रिया में की जाती है। निरस्त किये गये परिपत्रों/दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों की सूची 'अनुबंध-क' के रूप में इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

To rationalise, streamline the regulatory framework, enhance clarity and reduce complexity in compliance requirements, various redundant circulars / guidelines / clarifications issued by the Authority are repealed. This action is taken in response to the issuance of subsequent regulations, guidelines, updates and lapse of time-specific instructions. The list of circulars / guidelines / clarifications repealed are attached to this circular as 'Annexure – A'.

2. इसके सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has the approval of the competent authority.

(जे अनीता / J ANITA)
मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती) / CGM (INTERMEDIARIES)

संलग्नक / Encl: अनुबंध – 'क' / Annexure – 'A'